मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1119

10.02.2025 को उत्तर के लिए

वन्यजीव क्षेत्रों की घोषणा

1119. श्री भजन लाल जाटव:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी भी क्षेत्र को वन्यजीव क्षेत्र घोषित करने के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या वन्यजीव क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी भूमि के बदले में राजस्व विभाग द्वारा कोई मुआवजा दिया जाता है या कोई अन्य भूमि आवंटित की जाती है;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान के करौली, धौलपुर और भरतपुर में तथा अन्य स्थानों पर ऐसे कितने मामले सामने आए हैं; और

(घ) संबंधित व्यक्तियों को कितनी मुआवज़ा राशि प्रदान की गई या संबंधित व्यक्तियों को किसी अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु की-गई-कार्रवाई की तिथि क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) संरक्षित क्षेत्र जैसे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अध्याय IV में निहित प्रावधानों के अनुसार घोषित किए जाते हैं।

(ख) से (घ) मंत्रालय वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास (सीएसएस-आईडीडब्ल्यूएच) की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों या बाघ अभयारण्यों से स्वैच्छिक पुनर्स्थापना/पुनर्वास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 15 लाख रुपये प्रति परिवार या इतनी ही राशि के लिए भूमि पैकेज की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राजस्थान राज्य सरकार से करौली, धौलपुर और भरतपुर जिलों के संबंध में इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मांगने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****